अदालत / कैम्प कोर्ट मद्दूकलां में पेश हो।

निo जयराम

निo गजयसिंह

निo दशरथसिंह

निo गिरराज

13-5-16 पत्रावली आज लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मद्दूकलां पर पेश हुई। वादी गजयसिंह, दशरथसिंह, कल्ला, गिर्राज तथा प्रतिवादी जयराम उपस्थित है। इन पक्षकारो ने राजीनामा पेश किया जो स्वीकार कर पत्रावली मे शामिल किया गया। राजीनामे पर उभयपक्ष को सुना गया। वादीगण ने प्रा० पत्र दि० 15-3-12 पर पटवारी हल्का मद्दूकलां द्वारा की गई रिपोर्ट की छायाप्रति, धारा 91 L.R. Act के निर्णय तहसीलदार गंगापुर की छायाप्रति आदि भी पेश की है।

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट मे यह दावा निर्णित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख०नं० 588, 589, 596, 601 ग्राम मद्दूकलां के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें। चूंकि भूमि ख०नं० 895/605 रकबा 4 एयर ग्राम मद्दूकलां सिवायचक दर्ज है जिस पर दोनों ही पक्षों का कोई विधिक अधिकार नही है। अतः इस सिवायचक भूमि को संरक्षित करने के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजी जावे। खर्चा डिक्री जारी किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोट) महूकलां

पीठासीन अधिकारी-: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
50/2012	20.03.2012	13.05.2016

1. गजयसिंह पुत्र बीरवल, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. दशरथसिंह पुत्र बीरवल, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. गिर्राज पुत्र झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0 फरगन बेवा ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. पप्पी पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. कल्ला पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. बंटी पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा नि. महूकलां त. गंगापुरसिटी जरिए माता मु0फरगन
9. चीपो पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. बावूडी पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. सन्तरा पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. जयराम पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
2. सोहनराम पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
3. हरिलाल पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
4. कमलेश पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री गजयसिंह, दशरथसिंह, कल्ला, वादी
श्री जयराम, प्रतिवादी

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 588 रकबा 23 एयर, 589 रकबा 17 एयर, 596 रकबा 22 एयर, 601 रकबा 24 एयर ग्राम महूकलां वादीगण की खातेदारी आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि है। वादीगण की उपरोक्त भूमि के लगवां ख0नं0 895/605 सारकबा 4 एयर सिवायचक भूमि है जिस पर वादीगण करीब 30 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज हैं। प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेशुदा आराजियात से कोई लेना देना कभी नहीं रहा है। प्रतिवादीगण असरदार व्यक्ति हैं जो लठ्ठ के जोर से विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण को उनकी खातेदारी एवं सिवायचक भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं। दिनांक 15.2.2012 को प्रतिवादीगण अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी पर जहां वादीगण के काफी मात्रा में पत्थर पडे हुए थे, आ गए और जे0सी0बी0 मशीन से नींव की खुदाई करना शुरू कर दिया। जब वादीगण दशरथसिंह व गिर्राज ने मना किया एवं जैसे तैसे प्रतिवादीगण को बेजा हरकत करने से रोका। इस पर प्रतिवादीगण कहने लगे आज तो कोई बात नहीं आयन्दा हम नींव खोदकर निर्माण कर तुम्हें तुम्हारे कब्जे से बेदखल करके रहेंगे और तुमने ज्यादा हरकत की तो तुम्हारे खातेदारी के खेतों पर भी कब्जा करके रहेंगे। वादीगण ने दिनांक 15.2.2012 को ही तहसीलदारजी गंगापुर सिटी के यहां प्रार्थना पत्र उक्त तथ्यों को समाहित करते हुए प्रस्तुत किया। इस पर तहसीलदारजी ने हलका पटवारी से रिपोर्ट

895/605 रकबा 4 एयर सिवायचक पर गजयसिंह, दशरथसिंह, गिर्राज, अमरसिंह, मु0 फरगन आदि का पूर्व से कब्जा है व उनके पत्थर पडे हुए हैं। प्रतिवादीगण नाजायज निर्माण कर रहे हैं तथा शांति भंग होने का पूर्ण अन्देशा है। पटवारी की इस रिपोर्ट से प्रतिवादीगण और भी ज्यादा उत्तेजित व क्रोधित हो गए तथा हाथो में लाठी गण्डासी लेकर वादीगण के खेतों पर दिनांक 20.2.12 को आ गए व कहने लगे तुमने हमारी रिपोर्ट कर अच्छा नहीं किया है अब हम तुम्हें सिवायचक से ही क्या तुम्हारी खातेदारी की जमीन पर भी नहीं घुसने देंगे चाहे कुछ भी हो जावे। इस प्रकार वादीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उनके कब्जे की भूमि ख0नं0 895/605 और खातेदारी की भूमि ख0नं0 588, 589, 596, 601 ग्राम महूकलां के कब्जे काश्त वादीगण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें न ही किसी से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि भूमि ख0नं0 588 रकबा 23 एयर, 589 रकबा 17 एयर, 596 रकबा 22 एयर, 601 रकबा 24 एयर ग्राम महूकलां वादीगण की खातेदारी की भूमि है। ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर सिवायचक ना होकर आबादी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण की 4 गह पाटोर बनी हुई है एवं भूमि के चारो ओर पक्का डंडा बना हुआ है। वादीगण का इस 4 एयर भूमि पर कब्जा ना तो पहले था और ना ही अब है। दिनांक 15.2.2012 को भी प्रतिवादीगण की वादीगण से कोई बातचीत नहीं हुई । सारे कथन मिथ्या एवं मनगढन्त हैं। दिनांक 15.2.2012 को पटवारी हलका ने तहसीलदार गंगापुर सिटी को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की कि ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर पर वादीगण का पूर्व से कब्जा हो एवं उनके पत्थर पडे हुए हों। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि ख0नं0 605 रकबा 12 एयर प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। उसके पास ही ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर भूमि स्थित है जिस पर पहले प्रतिवादीगण के पिता किशोरी माली का एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण के पिता किशोरी माली को ग्राम महूकलां में ख0नं0 188 रकबा 16 विस्वा अलोट हुआ था जिसकी खातेदारी नामान्तरकरण नम्बर 211 दिनांक 16.9.76 द्वारा किशोरी माली के नाम दर्ज हो गई । ख0नं0 188 की मौके की स्थिति के अनुसार ही नवीन नम्बर 605 बनना पाया जाता है। ख0नं0 605 की 12 एयर भूमि पर प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा शेष 4 एयर भूमि पर उन्होने रिहायश के लिए 4 गह पाटोर बनाकर उसके चारो ओर पक्का डंडा बना लिया इसलिए यह 4 एयर भूमि रेवेन्यु रिकार्ड में आबादी में अंकित कर दी गई है। इस 4 एयर भूमि पर वादीगण का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा ना ही दावे के रोज ही उनका कब्जा था। विवादित 4 एयर भूमि आबादी होने के कारण विवाद के सम्बन्ध में रेवेन्यु अदालत को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। भूमि ख0नं0 586 रकबा 49 एयर को वादीगण पूर्व में ही विक्रय कर चुके हैं जिस पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण ने इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया है। वादीगण क्लीन हैण्ड्स से अदालत में नहीं आए हैं। वादीगण इसी आधार पर इक्यूटेबल रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर

निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068, वादीगण गजेसिंह वगैरा द्वारा दिनांक 15.2.2012 को तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए गए प्रार्थना पत्र की छायप्रति एवं इस प्रार्थना पत्र पर पटवारी हलका महूकलां द्वारा दिनांक 15.2.2012 को की गई रिपोर्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार" के तहत दिनांक 13.5.2016 को ग्राम पंचायत मुख्यालय महूकलां पर राजस्व शिविर एवं कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया एवं यह मुकदमा सुनवाई हेतु कैम्प कोर्ट महूकलां पर रखा गया जिसके लिए दोनों पक्षों को सूचना जारी की गई।

कैम्प कोर्ट महूकलां पर वादी गजयसिंह, दशरथसिंह, कल्ला एवं प्रतिवादी जयराम उपस्थित हुए। पक्षकारों से वस्तुस्थिति की जानकारी चाही गई। वादीगण ने बताया कि उनकी खातेदारी भूमि के पास ही ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर भूमि स्थित है जिस पर उनका काफी लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण इस 4 एयर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इन्होने दिनांक 15.2.2012 को वादीगण के कब्जे की इस 4 एयर भूमि पर जे0सी0बी0 मशीन की सहायता से नींव खुदाई कर नाजायज अतिक्रमण किया एवं निर्माण की कोशिश की। प्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध में दिनांक 15.2.2012 को ही तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां प्रार्थना पत्र इसी आशय का पेश किया जिस पर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने पटवारी हलका से रिपोर्ट मंगवाई। पटवारी हलका ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादीगण द्वारा ख0नं0 895/605 पर जे0सी0बी0 मशीन से नींव खुदाई कर नाजायज अतिक्रमण कर निर्माण कार्य चालू होने की रिपोर्ट की एवं मौके पर शांति भंग होने का अन्देशा होना जाहिर किया।

प्रतिवादी जयराम ने बताया कि इस 4 एयर भूमि से वादीगण का कोई वास्ता नहीं है, इस पर प्रतिवादीगण का ही लम्बे समय से कब्जा काश्त है। इस पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही भी तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा की गई है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 895/605 पर वादीगण का कब्जा नहीं है।

वादीगण एवं प्रतिवादी से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर ग्राम महूकलां सिवायचक भूमि है जिस पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद है। चूंकि सिवायचक भूमि पर किसी पक्ष का कब्जा नहीं माना जा सकता है, यह राज्य सरकार की भूमि है जिसके संरक्षण का अधिकार तहसीलदार लैण्ड होल्डर को होता है एवं इसी के तहत तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए प्रतिवादीगण को इस भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की है। जहां तक भूमि ख0नं0 588, 589, 596, 601 ग्राम महूकलां का प्रश्न है, यह भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जो वादग्रस्त भूमि ख0नं0 895/605 से लगी हुई है एवं इस भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आज ग्राम पंचायत मुख्यालय महूकलां में आयोजित लोक अदालत कैम्प कोर्ट महूकलां में वादीगण का दावा डिक्री किया

8

जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 588, 589, 596, 601 स्थित ग्राम महूकलां के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। चूंकि भूमि ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर ग्राम महूकलां सिवायचक दर्ज है जिस पर दोनों ही पक्षों का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः इस सिवायचक भूमि को संरक्षित करने के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प कोर्ट महूकलां

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) महूकलां

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

1. गजयसिंह पुत्र बीरवल, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. दशरथसिंह पुत्र बीरवल, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. अमरसिंह पुत्र झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. निर्राज पुत्र झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मु0 फरगन बेवा ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. पप्पी पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. कल्ला पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. बंटी पुत्र ज्ञानसिंह, बंजारा नि. महूकलां त. गंगापुरसिटी जरिए माता मु0फरगन
9. बीपो पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. बाबूडी पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. सन्तरा पुत्री झन्डू, बंजारा निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. जयराम पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
2. सोहनराम पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
3. हरिलाल पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी
4. कमलेश पुत्र किशोरी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुरसिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 50/2012

वादीगण की ओर से वादी गजयसिंह, दशरथसिंह, कल्ला व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी जयराम की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 13.05.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार आज ग्राम पंचायत मुख्यालय महूकलां में आयोजित लोक अदालत कैम्प कोर्ट महूकलां में वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 588, 589, 596, 601 स्थित ग्राम महूकलां के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। चूंकि भूमि ख0नं0 895/605 रकबा 4 एयर ग्राम महूकलां सिवायचक दर्ज है जिस पर दोनों ही पक्षों का कोई विधिक अधिकार नहीं है अतः इस सिवायचक भूमि को संरक्षित करने के लिए तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे ।

यह आज तारीख 13.05.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुनिदेव यादव)
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कैम्प कोर्ट महूकलां

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
जोड		जोड

कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी